



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 141

30 चैत्र, 1924 शकाब्द

राँची, शनिवार, 20 अप्रैल, 2002

विधि (विधान) विभाग ।

अधिसूचना

20 अप्रैल, 2002

संख्या-एल०जी०-5/2002-10/लंज:--झारखण्ड विधान मंडल निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 17 अप्रैल, 2002 को अनुमति दे चुके हैं; इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2002

[अधिनियम 10, 2002]

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, झारखण्ड, राँची की स्थापना करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरपन्वे वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :

- (1) संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ --(i) यह अधिनियम राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (iii) यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से प्रवृत्त समझा जायेगा ।

(2) परिभाषाएँ -- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (i) "संस्थान" का अर्थ है धारा-3 के अन्तर्गत स्थापित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान;
- (ii) "निधि" से अर्थ है धारा-20 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि;
- (iii) "राज्य परिषद्" से अर्थ है संस्थान का शासी परिषद्;
- (iv) "कार्यकारिणी समिति" से अर्थ है संस्थान की कार्यकारिणी समिति;
- (v) "अध्यक्ष" से अर्थ है संस्थान का अध्यक्ष;
- (vi) "उपाध्यक्ष" से अर्थ है संस्थान का उपाध्यक्ष;
- (vii) "राज्य सरकार" से अर्थ है झारखण्ड सरकार;
- (viii) "नियम" से अर्थ है राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियम;
- (ix) "विनियम" से अर्थ है संस्थान द्वारा निर्मित विनियम ।

(1) संस्थान की स्थापना एवं निगमन--(i) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से इस अधिनियम में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रभावो मानो जाएगी ।

(ii) यह संस्थान नर्सिंग महाविद्यालय एवं नर्सिंग विद्यालय सहित वर्तमान राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल जिसकी स्थापना 1959 ई० में की गयी थी की सभी परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को स्वीकार करेगा ।

(iii) यह संस्थान राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, झारखण्ड, राँची के नाम से एक निगमित निगम होगा जिसे निरंतर उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा धारण करने, चल एवं अचल सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने एवं हस्तांतरित करने तथा संविदा करने का अधिकार होगा यह अपने निगमित नाम से मुकदमा दायर कर सकता है एवं इस पर मुकदमा दायर किया जा सकता है ।

(4) संस्थान की अवस्थिति राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, झारखण्ड राज्य की राजधानी राँची अवस्थित होगा ।

(5) संस्थान के उद्देश्य-- संस्थान की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

- (i) स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में उच्च मापदण्ड (स्तर) को प्राप्त करना;

- (ii) चिकित्सा, विज्ञान तथा संबद्ध विषयों के क्षेत्र में शैक्षणिक तथा शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करना;
- (iii) दंत्य-शास्त्र सहित स्वास्थ्य संबंधी कार्य के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहन देना एवं बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना;
- (iv) लागत-परिणाम रूप में परम्परागत एवं स्टेट ऑफ आर्ट (उत्कृष्ट) सुविधा के माध्यम से गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना;
- (v) सुविधाएँ तथा सेवाएँ प्रदान करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास करना।
- 16). संस्थान के कार्य -- अनुच्छेद-5 में घोषित (निरूपित) ध्येयों एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्थान :-
- (i) आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एवं अन्य संबद्ध विज्ञानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रबंध करेगा ;
- (ii) ऐसे विज्ञानों के विभिन्न शाखाओं में अध्यापन एवं शोध हेतु प्रोत्साहन एवं सुविधाएँ प्रदान करेगा;
- (iii) विभिन्न विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त कर्मचारी एवं उपकरणों से सुसज्जित विभिन्न विभागों के साथ राँची विश्वविद्यालय से संबद्ध वर्तमान चिकित्सा महाविद्यालय का संपोषण करेगा ;
- (iv) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, कर्मचारियों एवं उपकरणों की पूरी व्यवस्था करेगा तथा आवश्यक समझे जाने पर विशिष्टता एवं उच्च विशिष्टता के विकास के लिए अस्पताल में अधिक विभागों या इकाइयों का सृजन करेगा ;
- (v) विभिन्न प्रकार के विशिष्ट जाँच एवं उपचार हेतु सुविधाएँ प्रदान करेगा ;
- (vi) दंत्य चिकित्सा एवं छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संस्थात्मक सुविधाओं से पूर्ण एक दंत्य महाविद्यालय की स्थापना करेगा ;
- (vii) परिचारिकाओं के प्रशिक्षण हेतु विद्यमान नर्सिंग विद्यालय तथा नर्सिंग महाविद्यालय में यथेष्ट रूप से कर्मचारी एवं उपकरणों की व्यवस्था एवं संपोषण करेगा ;
- (viii) क्षेत्र प्रशिक्षण (फिल्ड ट्रेनिंग) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित शोध कार्य हेतु ग्रामीण तथा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संपोषण करेगा ;
- (ix) विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे फिजियोथेरापिस्ट्स, ऑकुपेशनल थेरापिस्ट्स तथा विविध मेडिकल टेक्नशियनों के प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना एवं संपोषण करेगा ;

- (x) विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संस्थानों के प्राध्यापकों तथा राज्य स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों को प्रशिक्षण देगा ;
- (xi) समाज की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं अनुदेश की व्यवस्था करेगा एवं सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम का संचालन करेगा ;
- (xii) भारतीय चिकित्सा परिषद्, भारतीय दंत्य परिषद् या किसी अन्य विधिक परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं नियमों तथा विनियमों के अनुसार शैक्षिक एवं अन्य निर्धारित पदों पर लोगों को नियुक्ति करेगा ;
- (xiii) सरकार से अनुदान प्राप्त करेगा तथा लाभुकों, दाताओं इत्यादि से उपहार, दान, उत्तरदान एवं चल-अचल संपत्तियों का हस्तांतरण स्वीकार कर सकेगा ;
- (xiv) धारा-5 में उल्लिखित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक समझे जाने पर संस्थान के या इसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रूप में लेन-देन कर सकता है ;
- (xv) नियमों तथा विनियमों द्वारा निर्धारित फीस तथा अन्य शुल्कों की मांग एवं प्राप्ति कर सकेगा तथा संस्थान की देखभाल एवं विकास में सरकार द्वारा इस संबंध में निर्गत निर्देश के अधीन रहते हुए, प्राप्त राशि का उपयोग करेगा ;
- (xvi) जरूरतमंद तथा इसके पात्र व्यक्तियों को मुफ्त या अनुदानित (अल्प शुल्क के साथ) चिकित्सा की व्यवस्था करेगा ;
- (xvii) महाविद्यालय, अस्पताल तथा प्रशासनिक कार्यालय हेतु आवश्यकता के अनुरूप भवनों का निर्माण तथा देखभाल करेगा ;
- (xviii) अपने कार्मिकों के लिये आवास का निर्माण तथा उसका देख भाल करेगा ;
- (xix) राज्य सरकार की पुर्वानुमति प्राप्त कर संस्थान की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार ले सकता है ;
- (xx) संस्थान के कार्मिकों, छात्रों तथा संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे अन्य व्यक्तियों के कल्याण हेतु सुविधाएँ तथा संसाधन प्रदान करेगा ;
- (xxi) संस्थान के हित में, संस्थान की सुविधाओं तथा संसाधनों का व्यवसायिक उपयोग कर सकेगा ;
- (xxii) चिकित्सा शिक्षा तथा शांघ कार्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति, वृत्तिदान इत्यादि की व्यवस्था करेगा ।
- (xxiii) पारितोषिक प्रदान करेगा ;
- (xxiv) आवश्यक समझे जाने पर अनुषंगी सेवाओं को वाह्य स्रोतों से संचालित कर सकेगा, परन्तु आधारभूत सेवाओं को वाह्य स्रोतों से संचालित नहीं किया जा सकेगा ;

(xxv) धारा-5 के निर्दिष्ट संस्थान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के परिवर्धन हेतु सभी आवश्यक कार्य करेगा।

(7) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान की शासी परिषद् का गठन -- राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान एक स्वायत्त संस्था होगा एवं इसका प्रबंधन शासी परिषद् में निहित होगा जिसमें निम्नलिखित पन्द्रह सदस्य होंगे :-

- | | |
|---|------------|
| (i) मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, | पदेन सदस्य |
| (ii) विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार, | पदेन सदस्य |
| (iii) सचिव, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार, | पदेन सदस्य |
| (iv) वित्त आयुक्त, झारखण्ड सरकार, | पदेन सदस्य |
| (v) उप-कुलपति, राँची विश्वविद्यालय, | पदेन सदस्य |
| (vi) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, | पदेन सदस्य |
| (vii) प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, | पदेन सदस्य |
| (viii) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, परन्तु निदेशक, चिकित्सा शिक्षा के पद पर किसी के न होने की स्थिति में अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, | पदेन सदस्य |
| (ix) निदेशक, राँची मनाविज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास), राँची, | पदेन सदस्य |
| (x) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त दो प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ, | |
| (xi) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि, | |
| (xii) राँची संसदीय चुनाव क्षेत्र का एक स्थानीय सांसद, | |
| (xiii) कांके विधान सभा चुनाव क्षेत्र का एक स्थानीय विधायक, | |
| (xiv) संस्थान का निदेशक | पदेन सदस्य |

(8) शासी परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल--(i) इस धारा में किए गये अन्य प्रावधान को छोड़कर मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल उनके मनोनयन की तिथि से पाँच वर्षों का होगा।

(ii) धारा-7 के खण्ड (12) एवं (13) के अन्तर्गत संसद-सदस्य एवं विधान सभा सदस्य की शासी परिषद् की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी यदि उनकी संबद्ध संसद की सदस्यता, जिसके लिये वे निर्वाचित हुए थे, समाप्त हो जाती है।

(iii) एक पदेन सदस्य तब तक संस्थान का सदस्य बना रहेगा जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है।

(iv) एक निवर्तमान मनोनीत सदस्य, जब तक राज्य सरकार कोई भिन्न निर्देश नहीं देती है, अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति का मनोनयन नहीं हो जाता है।

(v) एक निवर्तमान मनोनीत सदस्य पुनर्मनोनयन का पात्र होगा।

(vi) यदि कोई सदस्य त्याग पत्र देता है, विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या नैतिक चरित्रहीनता संबंधी आपराधिक कृत्यों में दोष सिद्ध हो या बिना किसी युक्तिसंगत कारणों के आठ महीनों तक शासी परिषद् की प्रत्येक बैठक में अनुपस्थित रहा हो, संस्थान का सदस्य नहीं रह सकेगा।

(vii) सदस्यता से त्यागपत्र राज्य सरकार को सौंपा जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा जबतक इसे स्वीकृत नहीं कर लिया जाता, प्रभावी नहीं होगा।

(9) संस्थान की सदस्यता हेतु नियोग्यता/निरहता--वह व्यक्ति संस्थान के सदस्य होने के योग्य नहीं होगा यदि :-

(i) यदि व्यक्ति दिवालिया हो; या

(ii) यदि व्यक्ति आपराधिक दुष्कृत्य का दोषी पाया गया हो ;

(iii) यदि व्यक्ति विकृतचित्त का हो।

(10) संस्थान का अध्यक्ष -- (i) झारखण्ड सरकार का मुख्य सचिव संस्थान का पदेन अध्यक्ष होगा तथा विकास आयुक्त संस्थान का उपाध्यक्ष होगा।

(ii) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उन शक्तियों का उपयोग एवं कार्यों का निष्पादन करेंगे जैसा कि इस अधिनियम में निर्दिष्ट है या जैसा नियमों या विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाय।

(11) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के भत्ते -- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा शासी निकाय के सभ्य संस्थान से ऐसे भत्ते, यदि हों, प्राप्त करेंगे जैसा नियमों, विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(12) शासी परिषद् की शक्तियाँ -- (i) शासी परिषद् के पास संस्थान के मामलों से संबंधित पूरी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ तथा शक्तियों के उपयोग तथा संस्थान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुकूल संस्थान के सभी कार्यों एवं कृत्यों का संचालन का प्राधिकार होगा।

(ii) शासी परिषद् को संस्थान के वार्षिक बजट को अनुमोदित करने एवं स्वीकृति हेतु उसे राज्य सरकार के पास भेजने की शक्ति होगी। राज्य सरकार स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त शासी परिषद् को बजट में शामिल किसी भी मद पर व्यय की मंजूरी देने का पूरा अधिकार होगा।

यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी कार्यक्रम को धन देने का प्रस्ताव हो, जिसे उस वित्तीय वर्ष के प्राक्कलन में शामिल नहीं किया गया हो, ऐसी स्थिति में शासी परिषद् अनुपूरक बजट हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करेगी।

(iii) धारा-6 में निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन हेतु की गयी कार्रवाई में संस्थान के खर्चों को पूरा करने हेतु शासी परिषद् को संस्थान की निधि के उपयोग की वित्तीय शक्तियाँ होगी।

(iv) शासी परिषद् के पास संस्थान की निधि से व्यय संबंधी वही शक्तियाँ होंगी जो लोक निधि से व्यय करने के मामलों में राज्य सरकार के पास हैं।

(v) राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अधीन रहते हुए शासी परिषद् को संस्थान में पदों के सृजन एवं समापन का अधिकार होगा।

(vi) शासी परिषद् किसी भी धर्मदाय, न्यास निधि, चन्दा या प्रतिदान का प्रबंधन और प्रशासन स्वीकार कर सकता है, बशर्ते इनमें ऐसे कोई उपबन्ध न हो जो संस्थान के उद्देश्यों के प्रतिकूल और विरोधी हों।

(vii) शासी परिषद् को अनुपंगी सेवाएँ, जैसे कैंटरिंग, लॉन्डी सेवाएँ, एम्बुलैन्स सेवाएँ भी आवश्यकता समझे जाने पर बाह्य स्रोतों से प्राप्त कर सकती है परन्तु शासी परिषद् बुनियादी सेवाओं का बाह्य स्रोतों से प्राप्त नहीं कर सकेगी।

(viii) शासी परिषद् को नियमों तथा विनियमों द्वारा निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्कों के आरोपित एवं संस्थान के देख भाल एवं विकास हेतु, प्राप्त राशि के उपयोग की शक्ति होगी।

(ix) शासी परिषद् राज्य सरकार की पूर्वानुमति से धारा-32 के प्रावधानानुसार अधिसूचना जारी कर विनियमों का निर्माण कर सकती है।

- (x) शासी परिषद् अपनी शक्तियों को संकल्प द्वारा कार्यकारिणी समिति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष संस्थान के निदेशक या संस्थान के अन्य पदाधिकारियों को, प्रत्यायोजित कर सकता परन्तु शासी परिषद् नियमों तथा विनियमों के निर्माण की शक्तियों संस्थान के वार्षिक बजट स्वीकृत करने की शक्ति, संस्थान में उपलब्ध निधियों को विशेष अनुदान या दान के माध्यम से स्वीकृति देने की शक्ति तथा शैक्षिक संकाय को मदों पर नियुक्ति की शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता ।
- 3) संस्थान के शासी परिषद् की बैठकें -- (i) शासी परिषद् ऐसे समय एवं स्थान पर अपनी बैठक करेगा तथा अपनी बैठकों की कार्यवाहियों के संबंध में, उन प्रक्रियाओं का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा निर्धारित किए जायेंगे ।
- (ii) संस्थान का अध्यक्ष सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभापति के रूप में बैठक का संचालन करेगा ।
- (iii) संस्थान का निदेशक शासी परिषद् के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा ।
- (iv) संस्थान से संबंधित सभी मदों पर निर्णय शासी परिषद् के सदस्यों की सर्वसम्मति से लिये जायेंगे तथा सदस्यों में मत भिन्नता होने की स्थिति में निर्णय बहुमत से लिया जाएगा । मत बराबर होने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।
- (v) अध्यक्ष की पूर्वानुमति से शासी परिषद् की बैठक में भाग लेने हेतु विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकेगा, परन्तु ऐसे विशिष्ट आमंत्रित व्यक्तियों की स्थिति परामर्शदाता की होगी और उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा ।
- 4) संस्थान के स्टाफ / कार्मिक -- (i) संस्थान का एक निदेशक होगा जो संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा ।
- (ii) निदेशक को नियुक्ति शासी परिषद् द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन होगी ; परन्तु राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान का पहला निदेशक, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।
- (iii) एक आंतरिक वित्तीय सलाहकार होगा, जिसकी नियुक्ति शासी परिषद् द्वारा वित्तीय एवं लेखा संबंधी कार्यों के संचालन का व्यवहारिक अनुभव एवं जानकारी रखने वाले राज्य या केन्द्र सरकार के अधिकारियों के पैनल से की जायगी, जिनके नाम संस्थान को अग्रसरित किए जायेंगे । आंतरिक वित्तीय सलाहकार संस्थान के बजट तथा वित्तीय नियंत्रण, लेखा संबंधी कार्य की व्यवस्था एवं आंतरिक लेखा परीक्षण हेतु उत्तरदायी होगा । आंतरिक वित्तीय सलाहकार संस्थान के निदेशक को सभी वित्तीय मामलों पर परामर्श देगा । निदेशक को उसके परामर्श को अस्वीकृत / रद्द करने की शक्ति होगी, परन्तु इसके लिए लिखित कारण देना होगा । ऐसी सभी घटनाओं का प्रतिवेदन शासी परिषद् को सूचना हेतु भेजा जाएगा ।

(iv) एक उप-निदेशक (प्रशासन) होगा जिसकी नियुक्ति नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप शासी परिषद् द्वारा की जाएगी।

(v) संस्थान नर्सिंग महाविद्यालय तथा नर्सिंग विद्यालय सहित राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करेगा, क्योंकि राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान में विलय से पूर्व उनका कार्य बल अस्तित्व में था। संस्थान के ये कर्मचारी तब तक झारखण्ड सरकार के असैनिक लोक सेवक होंगे जब तक कि नियमों में किए प्रावधान के अनुसार, एक निश्चित समय सीमा के भीतर वे संस्थान में समायोजन हेतु विकल्प नहीं दे देते।

(vi) संस्थान का शासी परिषद् अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा कार्यों के निष्पादन हेतु, इस उद्देश्य से सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अन्य उपयुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति कर सकता है।

(vii) संस्थान के किसी भी पद पर नियुक्ति करने में झारखण्ड लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

(viii) सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा-शर्तें नियमों तथा विनियमों में निर्धारित होंगी।

35) कार्यकारिणी समिति -- (1) संस्थान की एक कार्यकारी समिति होगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(i) संस्थान का निदेशक, पदेन सदस्य

(ii) आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पदेन सदस्य

(iii) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का अधीक्षक, पदेन सदस्य

(iv) उपनिदेशक (प्रशासन), पदेन सदस्य

(v) शासी परिषद् द्वारा मनोनीत शिक्षा संकाय का वरीष्ठतम सदस्य,

(vi) शासी परिषद् के सदस्यों में से शासी परिषद् द्वारा मनोनीत एक चिकित्सा विशेषज्ञ,

(vii) राज्य सरकार द्वारा धारा-7 के उप धारा 11 के अन्तर्गत शासी परिषद् के सदस्य के रूप में मनोनीत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि।

(2) संस्थान का निदेशक कार्यकारी समिति का अध्यक्ष / सभापति होगा तथा उपनिदेशक, प्रशासन कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव होगा।

- (3) संस्थान की कार्यकारी समिति ऐसी शक्तियों का उपयोग एवं ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगी जो शासी परिषद् के विनियमों या संकल्प द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

कार्यकारी समिति सामान्यतया आपात स्थिति में शासी परिषद् की सामान्य शक्तियों को आघात पहुँचाए बिना उसके सभी कर्तव्यों एवं शक्तियों का उपयोग कर सकेगी। ऐसे आपातकालीन शक्ति के उपयोग से संबंधित सभी कार्यों का प्रतिवेदन शासी निकाय को आगामी बैठक में रखा जाएगा।

- (4) कार्यकारी समिति ऐसे समय तथा स्थान पर बैठक करेगी तथा अपनी बैठकों की कार्यवाहियों में ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जैसा विनियमों द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।
- (16) पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते। -- संस्थान के निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे वेतन तथा भत्ते के अधिकारी होंगे तथा इस संबंध में लागू हुए नियमों एवं विनियमों द्वारा निर्धारित छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि अन्य मामलों से संबंधी सेवा शर्तों से विनियमित होंगे।
- (17) निदेशक को शक्तियाँ एवं कार्य -- (i) निदेशक, शासी परिषद् के सचिव एवं कार्यकारी समिति के सभापति के रूप में कार्य करेगा।
- (ii) संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हैसियत से निदेशक संस्थान के दक्षतापूर्ण संचालन तथा इसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा।
- (iii) निदेशक, ऐसी शक्तियों का उपयोग एवं ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जैसे नियमों का विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए गए हों या संस्थान के शासी परिषद् द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए गए हों।
- (18) संस्थान की स्थायी एवं तदर्थ समितियाँ -- (i) संस्थान का शासी परिषद् जितनी स्थायी तथा तदर्थ समितियों को किसी शक्ति के प्रयोग अथवा संस्थान के कार्यों के निष्पादन हेतु या जांच अथवा प्रतिवेदन अथवा किसी बात पर परामर्श हेतु, जिसे संस्थान उसे सौंपता है, के लिए आवश्यक समझे, गठन कर सकता है; परन्तु, ऐसा नियमों में निर्दिष्ट नियंत्रण एवं प्रतिबंधों के अधीन होगा।
- (ii) सभी स्थायी समितियाँ एवं तदर्थ समितियाँ परामर्शदात्री समितियाँ होंगी।
- (iii) स्थायी एवं तदर्थ समितियों के सदस्य विनियमों के निर्धारित भत्ते, यदि हो, प्राप्त कर सकेंगे।

(19) संस्थान को भुगतान -- राज्य सरकार राज्य के विधान सभा द्वारा पारित विनियोग द्वारा संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उतनी राशि तथा उस विधि से प्रदान करेगा जो राज्य सरकार द्वारा संस्थान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक समझा जाएगा।

(20) संस्थान को निधि--(1) संस्थान एक निधि/कोष की व्यवस्था करेगा जिसमें जमा की जाएगी :-

- (i) राज्य सरकार द्वारा दिया गया सभी धन;
 - (ii) संस्थान द्वारा प्राप्त किये गये सभी फीस तथा अन्य शुल्क;
 - (iii) संस्थान द्वारा अनुदान, उपहार, चन्दा, लाभ, उत्तरदान या हस्तांतरण के रूप में प्राप्त सभी धन तथा
 - (iv) संस्थान द्वारा किन्हीं भी रूप में या किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी धन।
- (2) इस निधि में, इस अधिनियम के प्रभाव में आने की तिथि को नर्सिंग विद्यालय तथा नर्सिंग महाविद्यालय सहित राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की शेष राशि शामिल होगी।
- (3) निधि में जमा की गयी सभी राशि को ऐसे बैंक या बैंकों में जमा / निकासी की जायेगी जिस शासी परिषद् निर्धारित करे या उसका निवेश इस रूप में किया जायगा जैसा कि शासी परिषद् राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर निर्णय करे।
- (4) निधि का उपयोग धारा-6 में निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन एवं शक्तियों के उपयोग में व्यय हुए खर्च सहित संस्थान के खर्चों को पूरा करने में किया जाएगा।

(21) संस्थान का बजट -- (1) संस्थान नियमों द्वारा निर्धारित नियत प्रारूप तथा नियत समय पर प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट का निर्माण करेगा।

(2) यह बजट संस्थान के प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्ययों को प्रदर्शित करेगा।

(3) संस्थान राज्य सरकार को बजट की उतनी प्रतियाँ उपलब्ध कराएगी जितनी राज्य सरकार द्वारा मांगी जायेंगी।

(22) लेखांकन तथा लेखा-परिक्षा -- (1) संस्थान समुचित रूप से लेखांकन एवं प्रासंगिक अभिलेखा का संधारण करेगा एवं संतुलन-पत्र सहित लेखा का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जिसे राज्य सरकार झारखण्ड के महालेखाकार के परामर्श से नियमों द्वारा निर्धारित करेगा।

- (2) संस्थान के लेखा का परीक्षण महालेखाकार, झारखण्ड द्वारा किया जाएगा तथा इस प्रकार के लेखा-परीक्षा में उनके द्वारा किया गया किसी प्रकार का व्यय संस्थान द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड को भुगतें होगा।
- (3) संस्थान के लेखा-परीक्षा के संबंध में महालेखाकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को वहां अधिकार, उन्मुक्ति तथा शक्ति प्राप्त होगी जो महालेखाकार को सरकार के लेखा परीक्षण के संबंध में प्राप्त होती है। विशेष तौर पर, उसे बही, लेखा, संबंधित विपत्र एवं अन्य दस्तावेज तथा कागजात मांगने तथा संस्थान के कार्यालय एवं उसके द्वारा स्थापित एवं संचालित संस्थानों की जाँच करने का अधिकार होगा।
- (4) महालेखाकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित संस्थान के लेखों को लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के साथ प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को सौंपा जाएगा तथा राज्य सरकार इसे विधान-सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
- 23) वार्षिक प्रतिवेदन -- (1) संस्थान प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का प्रतिवेदन नियमों द्वारा निर्धारित प्रारूप नियत दिन या उसके पहले तैयार करेगा तथा उस प्रतिवेदन को राज्य सरकार का समर्पित करेगा।
- (2) राज्य सरकार प्रतिवेदन को एक प्रति प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर या अगले सत्र में, जैसी भी स्थिति हो, विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
- प्रतिवेदन, विवरणी तथा सूचना -- संस्थान विहित प्रतिवेदन, विवरणी तथा वैसे सूचनाएँ राज्य सरकार को उपलब्ध कराएंगे जे समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा मांगी जाएगी।
- 25) पेशन तथा भविष्य निधि -- विनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन संस्थान अपने पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के कल्याण हेतु पेशन तथा भविष्य निधि का गठन करेगा।
- 26) संस्थान के आदेशों एवं अधिलेखों का प्रमाणीकरण -- (1) संस्थान के शासी परिषद् के सभी आदेशों एवं निर्णय को इसके अध्यक्ष या इसके लिये शासी परिषद् द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत किया जायेगा।
- (2) अन्य सभी अधिलेखों को निदेशक या इसके लिए समान तरीके से प्राधिकृत संस्थान के कोई अन्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत किया जाएगा।
- रिक्तियों आदि द्वारा नियमों एवं कार्यवाहियों को रद्द नहीं किया जाना -- इस अधिनियम के तहत संस्थान के शासी निकाय, संस्थान के कार्यकारी समिति या कोई स्थायी या तदर्थ समिति द्वारा किए गए कार्य या कार्यवाही पर किसी रिक्त या संस्थान के शासी निकाय या संस्थान के कार्यकारी समिति या ऐसे स्थायी या तदर्थ समिति की संरचना में त्रुटि रहने के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

- (28) विभिन्न वर्गों के आरक्षण -- संस्थान में छात्रों के सभी प्रवेश, पदों पर सभी भर्ती एवं प्रोन्नति के मामलों में विभिन्न वर्गों के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार का हित एवं नियम लागू होगा ।
- (29) राज्य सरकार का नियंत्रण -- संस्थान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो संस्थान के कुशल प्रशासन एवं इसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने एवं राज्य सरकार को राज्य में चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा के संवर्द्धन की घोषित नीति के अनुरूप हों ।
- (30) संस्थान एवं राज्य सरकार के बीच विवाद -- यदि संस्थान द्वारा शक्तियों के प्रयोग अथवा कार्यों के निष्पादन के क्रम में इस अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान एवं राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य सरकार का निर्णय इस तरह के विवाद के मामलों में अन्तिम होगा ।
- (31) नियम बनाने की शक्ति (1) राज्य सरकार संस्थान के शासी परिषद् से परामर्श के बाद, सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों के कार्यान्वयन हेतु नियम का निर्माण करेगी ।

परन्तु, इस धारा के अन्तर्गत संस्थान से परामर्श प्रथम बार नियम बनाने के लिए आवश्यक नहीं होगा एवं इस तरह में निर्मित नियम संस्थान के लिए शासी परिषद् के गठन के पश्चात्, शासी परिषद् के परामर्श पर संशोधित किए जा सकेंगे ।

- (2) पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना एवं विशेषकर ऐसे नियम सभी या निम्नांकित किसी मामलों में लागू होगी; जैसे :-
- कोई भत्ता यदि अध्यक्ष और शासी निकाय के सदस्यों को भुगतान किया जाना हो ;
 - इस धारा के अन्तर्गत स्थायी समिति और तदर्थ समितियों के गठन से संबंधित नियंत्रण एवं प्रतिबंध ;
 - संस्थान के अध्यक्ष द्वारा शक्ति एवं कार्यों का प्रयोग एवं संपादित किया गया हो ;
 - संस्थान द्वारा पदों का मूजन की संख्या और इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया का मामला ;
 - संस्थान द्वारा बजट और प्रतिवेदन निर्माण की प्रति एवं समय से संबंधित मामला ;
 - नियम द्वारा निर्धारित कोई अन्य मामला ।

(3) इस धारा के तहत निर्मित प्रत्येक नियम विधान सभा के समक्ष सथापित रखा जाएगा। विधान-सभा द्वारा नियम में कोई संशोधन करने का विधान सभा द्वारा लेने की दशा में, इसके बाद नियम ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी या प्रभावी नहीं जैसा भी हो होगा यद्यपि उस नियम के तहत पूर्व में किये गए कोई कार्य की वैधता ऐसे विलोपन हेतु संशोधन पूर्वाग्रह के बिना निष्प्रभावी होगा।

(32) विनियम बनाने की शक्ति -- (1) राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर शासी परिषद् इस अधिनियम के समानुकूल कोई विनियम अधिसूचना द्वारा बना सकता है और ऐसे नियम इस अधिनियम के उद्देश्यों को अमल में लाएगा। ऐसे नियम निम्न मामलों में लागू होगा :-

- (i) शासी निकाय, कार्यकारी समिति और स्थायी एवं तदर्थ समिति द्वारा अपने कार्यकलाप, अपनी शक्ति एवं कार्य संपादन में अपनायी गई प्रक्रिया ;
- (ii) लेखा का रख रखाव ;
- (iii) बजट प्राक्कलन की तैयारी एवं स्वीकृति ;
- (iv) व्यय की स्वीकृति ;
- (v) संस्थान के निधि का नियंत्रण एवं निवेश और ऐसे निवेश का विक्रय या बदलाव ;
- (vi) संस्थान के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा शासी परिषद् के सभापति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य ;
- (vii) संस्थान के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा स्थायी एवं तदर्थ समिति के सदस्यों को भुगतने की शक्ति, यदि भुगतने हो ;
- (viii) संस्थान के निदेशक तथा अन्य पदाधिकारी एवं कर्मियों की शक्ति एवं कर्तव्य ;
- (ix) कार्यालय की समयावधि, शिक्षकों सहित संस्थान के कर्मियों का वेतन एवं भत्ता तथा सेवा संबंधी अन्य शर्त तथा इनकी कालावधि ;
- (x) संस्थान द्वारा मांगा गया एवं प्राप्त किया गया फीस एवं अन्य शुल्क ;
- (xi) संस्थान के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के लिए गठित पेंशन एवं भविष्य निधि के गठन की प्रक्रिया ;
- (xii) और ऐसा कोई मामला जो जरूरी हो ;

- (2) इस अधिनियम के तहत जब तक संस्थान स्थापित नहीं होता है तब तक उप-धारा-1 के तहत कोई नियम राज्य सरकार द्वारा बनाई जाएगी और ऐसा कोई नियम राज्य सरकार के पूर्व अनुमति से शासी निकाय द्वारा परिवर्तन या रद्द किया जा सकता है।
- (3) इस धारा के तहत बना प्रत्येक विनियम बनने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा और विधान सभा विनियम में कोई संशोधन करती है या नियम नहीं बनाने का निर्णय लेती है तो इसके बाद नियम इस संशोधित रूप में प्रभावी या प्रभावी नहीं होने का, जैसा भी मामला हो, लागू होगा; यद्यपि इस नियम के तहत पूर्व में किए गये कोई कार्य को बाधता पूर्वाग्रह के बिना संशोधन या विलोपन से प्रभावित नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।